

दिनांक-29.01.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर के साथ PHED & PRD से हस्तांतरित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

1. विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थिति:-

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी एवं झंझारपुर में विद्युत विपत्रों के बकाये राशि की भुगतान की समीक्षा के क्रम में दिनांक-01.09.2025 के आधार पर की गई दावा का संयुक्त सत्यापनोपरांत HGN एवं गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों का संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतेय कुल लंबित बकाया राशि ₹272.16 लाख है, जिसके विरुद्ध दिनांक-28.01.2026 तक मात्र ₹114.68 लाख का भुगतान प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें से दिनांक-01.01.2026 से 28.01.2026 तक मात्र ₹5.68 लाख का भुगतान मधुबनी प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है जबकि झंझारपुर प्रमंडल द्वारा दिनांक-01.01.2026 से 28.01.2026 तक कोई भुगतान प्रतिवेदित नहीं किया गया है। इस संबंध में पृच्छा की गई तो क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया एवं संवेदकों का कहना है कि हमारे परिचालन के पूर्व के योजना का विद्युत राशि लंबित है। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से पृच्छा के दौरान संज्ञान में आया कि यह राशि विभाग द्वारा भुगतान कराया जाना था। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि प्रमंडलों द्वारा विद्युत विपत्रों का भुगतान कराने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता पर अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को बकाया राशि के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अधीक्षण अभियंता, अंचल दरभंगा अपने अधीनस्थ प्रमंडलार्गत योजनाओं में विद्युत समस्या का निराकरण/विद्युत विपत्र का भुगतान एवं सभी योजनाओं का अनुश्रवण करते हुए योजनाओं की क्रियाशीलता सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता।

❖ समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि संवेदकों द्वारा विद्युत विपत्रों की राशि का विलंब से एवं अत्यंत ही कम मात्रा में भुगतान करने के कारण वह राशि DPS में समायोजित हो जाता है। विदित हो कि ससमय भुगतान नहीं होने के कारण ही विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विलंब भुगतान अधिभार (DPS) लिया जाता है। फलतः संवेदकों द्वारा भुगतान की गई राशि का जो अंश DPS में समायोजित हो जाता है, उस राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि प्रमंडलों द्वारा संवेदकों को विलंब भुगतान अधिभार मद में समायोजित राशि का प्रतिपूर्ति किया जाता है तो उस राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से किया जाएगा। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों के बकाया राशि के भुगतान हेतु अधियाचना में ऊर्जा मद एवं विलंब

भुगतान अधिभार मद की राशि स्पष्ट रूप से अलग-अलग अंकित किया जाय। इसका अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता

2. MIS Mapping / Entry (Land Availability / Store/Material / Contractor/ Supervisor/ Repair Team/ Electric Meter/ Electricity Bill / IOT etc.):-

❖ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS पर Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT की प्रविष्टियों में कई तरह की त्रुटियां हैं साथ ही जो प्रविष्टि की गयी है। वह भी आंशिक रूप से। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि संवेदक/मरम्मत दल/सुपरवाइजर के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है, जिसके कारण ससमय शिकायतों का निष्पादन (नियमानुकूल कार्रवाई) नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल स्तर से MIS पर की गई प्रविष्टियों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इस मामले को प्राथमिकता स्तर पर लेते हुए सभी प्रमंडलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के अंदर MIS पर त्रुटिरहित PHED/PRD ward Mapping के अतिरिक्त अन्य सभी यथा संवेदक/मरम्मत दल एवं सुपरवाइजर का सही नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ मैपिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

Not Mapping Summary Report as on 29.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Not mapped Ward with Repair Team (PHED)	mapped Ward with Repair Team (PHED)	Not mapped Ward with Repair Team (PRD)	mapped Ward with Repair Team (PRD)
1.	Jhanjharpur	19	296	00	2216
2.	Madhubani	142	304	00	2559

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

Electricity Consumer Mapping Summary of Civil (PHED) Report as on 29.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PHED)	Total Entry (PHED)	%
1.	Jhanjharpur	164	159	96
2.	Madhubani	272	267	98

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

Electricity Consumer Mapping Summary of Civil (PRD) Report as on 29.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PRD)	Total Entry (PRD)	%
1.	Jhanjharpur	2218	00	00
2.	Madhubani	2559	01	00

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि PHED & PRD संवेदकों द्वारा स्थापित स्टोर/भंडार का Geo Tagging करते हुए सभी सामग्रियों की अवयववार Inventory की MIS

पर प्रविष्ट करेंगे और पंजी का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रांतर्गत संचालित योजनाओं के संवेदक अपने स्थापित भंडार गृह में निर्माण/मरम्मत एवं संपोषण कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का एकरारनामा के 10 प्रतिशत अनुपात में संग्रह सुनिश्चित करेंगे एवं स्थल पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनहित के लिए प्रदर्शित करेंगे।

अनुपालन:—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित

अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी एवं झंझारपुर में पंचायती राज से हस्तांतरित योजना के अंतर्गत छुटे हुए टोला में चल रहे कार्य की प्रगति के संबंध में पाया गया कि संवेदक एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 522 योजनाओं में मात्र 110 योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। इस पर संवेदक द्वारा 207 स्थल पर जमीन प्राप्त होने की सूचना दी गई। नालन्दा इंजिकॉन द्वारा 385 योजनाओं में मात्र 177 योजनाओं और मे0 गणाधिपति प्र0ली0 द्वारा 277 योजनाओं में मात्र 22 योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। कार्य की धीमी प्रगति पर पृच्छा करने पर संवेदकों द्वारा जमीन अनुपलब्ध रहने की सूचना दी गई। इस पर संबंधित सहायक अभियंता से पृच्छा की गई तो उनके उत्तर से प्रतीत हुआ की उनके द्वारा इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जमीन अनुपलब्धता की असंतोषजनक प्रगति पर, झंझारपुर अवर प्रमंडल एवं लौकाही अवर प्रमंडल के सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण करने हेतु निदेशित किया गया। झंझारपुर अवर प्रमंडल के सहायक अभियंता से MIS पर प्रविष्टि के प्रक्रिया में जानकारी नहीं होने के संबंध में उन्हें आई0टी0 मैनेजर से अगले एक सप्ताह में पूर्ण जानकारी लेने हेतु निदेशित किया गया अन्यथा उनपर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवर प्रमंडल में मात्र 65 स्थलों में से मात्र 02 स्थल उपलब्ध कराया गया है, इस पर खेद व्यक्त करते हुए अवर प्रमंडल फुलपरास के सहायक अभियंता को अविलंब अवर प्रमंडल झंझारपुर का अतिरिक्त प्रभार देने हेतु निदेशित किया गया। समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल लौकाही से पृच्छा करने पर संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। इससे प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरती जा रही है इस पर खेद व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण करने हेतु निदेशित किया गया। स्थल निरीक्षण में सहायक अभियंता को कठिनाई न हो, इस हेतु कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल झंझारपुर को सभी अवर प्रमंडल के लिए वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जमीन अनुपलब्धता की असंतोषजनक प्रगति होने के कारण कार्यपालक अभियंता झंझारपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालन:—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर।

- ❖ जमीन अनुपलब्धता की प्रगति का अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर दल गठित करने हेतु निदेश दिया गया। ।

अनुपालन:—मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)।

3. CGRC निष्पादन:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत प्रखंड-जयनगर में कार्यरत संवेदक विपिन कुमार शर्मा, प्रखंड-राजनगर में कार्यरत संवेदक अनिल कुमार चौधरी, प्रखंड-पंडौल में कार्यरत संवेदक नरसिंह इंटरप्राइजेज एवं प्रखंड-बेनीपट्टी में कार्यरत संवेदक भुपेन्द्र प्रसाद यादव के द्वारा शिकायत निराकरण में विभागी समय सीमा से अत्यधिक समय लिया जा रहा है जो कि खेद का विषय है। इस पर उक्त संवेदकों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ MIS में कतिपय संवेदकों का मैपिंग सही रूप से नहीं हुआ है। इससे प्रतीत हो रहा है कि अधीक्षण अभियंता दरभंगा अंचल, दरभंगा द्वारा अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। लापरवाही के कारण अधीक्षण अभियंता का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल झंझारपुर अंतर्गत प्रखंड-फुलपरास के सुगापट्टी में कई योजनाओं में वोल्टेज समस्या की बात सामने आई, जिस पर संबंधित कनीय अभियंता का अगले आदेश तक वेतन स्थगित तथा स्थल पर कार्यरत संवेदक किशोर कुमार पर एकरारनामा में निहित प्रावधान के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालन:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/प्र0पदा0-1, 2 एवं 12।

- ❖ समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत निष्पादन में विभागीय मानक के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा से अतिरिक्त समय लिया जा रहा है, जिस पर खेद व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ऐसे संवेदकों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध एकरारनामा के आलोक में कार्रवाई किया जाय।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों/योजनाओं में अत्याधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर कार्यपालक अभियंता विशेष ध्यान देते हुए मानव बल का आकलन/कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण करते हुए शिकायतों का निराकरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदक की कार्य पद्धति को प्रतिदिन अनुश्रवण करें तथा सुनिश्चित करेंगे कि (प्रत्येक दो वार्ड में संवेदक द्वारा कम से कम एक मरम्मत दल कार्यरत हो) तथा प्रतिदिन सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से संवेदकवार क्षेत्र में लगाए गए टीम का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर कर EE कंट्रोल रूम के Whatsapp Group पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित
अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि वैसे संवेदक जिनके कार्य क्षेत्र में अधिक-से-अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ के संबंधित कार्यपालक अभियंता कृत

कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से निम्नवत् रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।

- I. Panchayat with No Complain Report (CGRC)
- II. Contractor wise Average solving time report
- III. Contractor wise Average Pending days report
- IV. Maximum count wise report
- V. Contractor wise most pending report

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि CGRC अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि CGRC पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन विभागीय SOP के तहत कराया जाय।

अनुपालन:- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

4. Detail Report of PRD Expenditure (Format As Attached):-

❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि PRD O&M में व्यय की गयी राशि का अवयववार विहित प्रपत्र में प्रविष्टि कर दो दिनों के अंदर मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इसका अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता निश्चित रूप से करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

5. अन्यान्य:-

❖ संवेदक रौशन कुमार झा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2025-2026 में सुखाड़ के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी में जलापूर्ति हेतु टैंकर का परिचालन का कार्य किया गया था, जिसका भुगतान अब तक लंबित है। संज्ञान में यह भी आया कि ऐसी स्थिति लोक स्वास्थ्य प्रमंडल झंझारपुर, दरभंगा एवं सीतामढ़ी की भी है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को अगले 24 घंटों में कराए गए कार्य का तकनीकी अनुमोदन कर मुख्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया जिससे इस संदर्भ में अग्रत्तर भुगतान की कार्रवाई की जा सके।

अनुपालन:- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/प्र0पदा0-04।

❖ PWS/SVS की क्रियाशीलता/विद्युत विपत्र का भुगतान आदि की विशेष निगरानी का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता को दी जाती है। प्रत्येक माह के पांच तारीख तक उक्त से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दी गई।
अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक:- 14/वृहत्क - 105/25-135

दिनांक-

18/2/26

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता-सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/वृहत्क - 105/25-135

दिनांक-

18/2/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/वृहत्क - 105/25-135

दिनांक-

18/2/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/वृहत्क - 105/25-135

दिनांक-

18/2/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)